सम्पन्न किए जाने वाले करारों का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नशीली दवाइयों के गैर-कानूनी व्यापार को रोकने के लिए विदेशी सरकारों के साथ सहयोग करके अपनी क्षमता बढ़ाना भी है । इन करारों के परिणाम से सरकार सन्तुष्ट है ।

**Strike by fishermen**

52. SHRI N. GIRIPRASAD:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI:

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that fishermen all over the country went on a two days strike on 23rd and 24th November, 1994 against the entry of foreign vessels for deep sea fishing in India waters; and

(b) if so, how many licences were issued to the foreign fishing Vessels and what is the reaction of Government to the fishermen's demand for withdrawal of all licences to the foreign Vessels?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) Yes, Sir.

(b) While on licence for deep sea fishing has been issued to foreign fishing companies, however, 28 Indian companies held valid licence for operation of 64 foreign flag vessels in Indian Exclusive Economic Zone (EEZ) (as on 30.11.94) under Long-term Lease and Charter schemes. At present, only 16 foreign flag vessels are in operation under Long-term Lease and Charter Schemes.

The demand of the fishermen for withdrawal of all licences to the foreign vessels were examined in consultation with the State Governments and through appointment of an Expert Committee for indepth study of the situation. However, no adverse impact of the operation of deep sea fishing vessels on coastal fishing was established. On the other hand, it was found that the un-checked and un-regulated increase in the coastal fishing effort had led to increased competition between traditional fishing boats and mechanised trawlers for targetting a finite resource. The number of deep sea fishing vessels under joint venture leasing and charter, in operation on both the coasts is only 30 at present (as on 30-11-94) which is not considered to be a number high enough to make any adverse affect on coastal fishing. In view of above, it was not felt necessary to withdraw the licences issued under the above schemes.

**Special assistance to women entrepreneurs**

53. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government have proposed to provide any special assistance and technical know-how to women entrepreneurs in the setting up of Food Processing Units in the country;

(b) if so, the details theroef; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) to (c) No specific Scheme exists for providing any special assistance and technical know-how to women entrepreneurs in setting up food processing units. However, Ministry is assisting in setting up food processing training centres in the rural areas and assistance has been provided during the first two years of the 8th Plan for setting up 121 such Centres. These Centres, besids training, would along with District Industry Centres and State Nodal Agencies

disseminate information on various aspects of food processing. Emphasis for training rural women in the agro-food industries is given in the food processing training centres so as to ensure that they get "hands on' experience in setting up and managing small food processsing units.

**गुजरात में औद्योगिक एकक**

**54. श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कौन-कौन से औद्योगिक एकक स्थापित किए गए हैं और गुजरात में स्थित इन एककों में उत्पादित वस्तुओं का जिले-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान गुजरात में ऐसे एकक स्थापित करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) :** (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में किसी यूनिट की स्थापना नहीं करता । परन्तु इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि० का ब्रेड, बन आदि तैयार करने वाला एक यूनिट अहमदाबाद म है । इस मंत्रालय द्वारा स्वयं गुजरात में कोई नया यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

**कृषि आधारित उद्योगों का विकास**

**55. श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च, 1994 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को प्रतिवर्ष कितनी धनराशि प्रदान की गई ;

(ग) क्या सरकार का कृषि आधारित उद्योगों के संवर्धन के लिए समेकित विकास केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) वर्ष 1994-95 के लिए कृषि आधारित उद्योगों के लिए राज्य-वार, विशेषकर गुजरात के लिए कितना आवंटन किया जाएगा ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) :** (क) इस मंत्रालय, जो कृषि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के कुछ क्षेत्रों को देखता है, की विभिन्न विकासात्मक योजना स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए योजना आयोग द्वारा वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 हेतु निर्धारित परिव्यय क्रमश: 40.00 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुप और 47.00 करोड़ रुपए है ।

(ख) निधियों का आवंटन राज्य-विशेष या क्षेत्र विशेष के लिए नहीं किया जाता क्योंकि कार्यान्वित की जा रही स्कीमे परियोजना विशिष्ट होती है । तथापि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए स्कीम के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता में राज्य सरकार के संगठनों/सहकारी निकायों/स्वैच्छिक संगठनों संयुक्त क्षेत्र आदि को दी जाने वाली सहायता शामिल होती है ।

(ग) और (घ) कृषि खाद्य उद्योगों के संवर्धन के लिए, कृषि खाद्य औद्योगिक एस्टेट्स के विकास हेतु एक प्रस्ताव चलाया गया है ।

(ङ) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए राज्यवार आवंटन का प्रश्न नहीं उठता ।